तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.32/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.11.2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अरविन्द कुमार पुत्र फूलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– 1247, माताजी के पास वाली गली, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री आम्बेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया व यह भी व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने उक्त दुकान बन्द कर दी है व प्रतिवादी अब मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है, प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है, इसलिये कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 04.8.2019 को समय 4.45 पी.एम. पर फर्म श्री आम्बेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से अरविन्द कुमार पुत्र फूलाराम माली, जाति– माली, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर फ्रिज में स्टील बरनी में रखे मिक्स्ड मिल्क लगभग 8 लीटर के अमानक होने का शक होने पर मिक्स्ड मिल्क को नपने से हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष एक साफ सूखे, खाली बिगाने में कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के एक नमूना भाग एवं फार्म नंम्बर 6 को एक सील बन्द लिफावे को नमूनें की जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया एवं शेष 3 नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-999 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./607/Act/2019/660 दिनांक 13.8.2019 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अरविन्द कुमार पुत्र फूलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री आम्बेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested

...जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.32/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	मिक्स्ड मिल्क का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अरविन्द कुमार पुत्र फूलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री आम्बेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी अरविन्द कुमार पुत्र फूलाराम जी माली, जाति– माली, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री आम्बेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, राजमाता धर्मशाला रोड, सिरोही, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो तथा जुर्माना राशि का डी. डी. जमा होने पर पेश हो। 3/11/2020 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:55:38 IST
Reason: SelfAttested